56

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल, 1994 (वैशाख 8, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के एक अधिकारी द्वारा संघ को हानि पहुंचने वाली कार्यवाहियां की जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपीकृष्ण नेमा, श्री भंवर सिंह शेखावत, कुंवर विजय शाह, सदस्य, राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महंगे दामों पर सामग्री क्रय करने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ सीतासरन शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, गुना जिले के बीनागंज क्षेत्र में डकैती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, हरदा तहसील एवं राजगढ़ जिले के अनेक ग्रामों में गुजरात तथा राजस्थान की भेड़ों के घुस जाने से फसलों को हो रही क्षति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, सदस्य, शाजापुर जिले के मोमन बड़ोदिया के विकास खण्ड अधिकारी द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा की बाल्को एल्यूमीनियम कम्पनी से बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम लकुआकोना में दूषित पेयजल से कई लोगों की हुई मृत्यु की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के तरई थाना प्रभारी द्वारा आदिवासियों से वृक्षों की अवैध कटाई करवाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, मुरैना जिले के अनेक ग्रामों में गन्ने की फसलों में "पायरला" कीट का प्रकोप होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा खनित नलकूपों का राज्य शासन द्वारा उपयोग न करने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम उडला पंडवन में दो अपहृत बालकों की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के टाटीबंध निवासी एक छः वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) भिण्ड जिले के ग्राम मटियावली बुजुर्ग में हैण्डपंप का खनन कराने,
(ख) भिण्ड जिले के ग्राम मटियावली से रहावली तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ग) भिण्ड जिले के ग्राम मेहरी में पहुंच मार्ग पूर्ण कराये जाने,
(घ) भिण्ड जिले के ग्राम सायपुरा से मुख्य मार्ग तक सड़क बनवाने,
(ड.) भिण्ड जिले के ग्राम बडोखरी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत किये जाने,
(च) भिण्ड जिले के ग्राम गांगेपुरा की सड़क का डामरीकरण किये जाने,
(छ) भिण्ड जिले के ग्राम पर्रायच की अजनार केनाल का निर्माण किये जाने,
(ज) भिण्ड जिले के ग्राम बडेत्तर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(झ) भिण्ड जिले के ग्राम मटियावली में पाइप लाइन डलवाने,
(ञ) भिण्ड जिले के ग्राम पर्रायच में हैण्डपंप का खनन कराने,
(ट) भिण्ड जिले के ग्राम बडोखरी में बांध की मरम्मत किये जाने,

(2) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा नगर के चीरघर को शहर के बाहर ले जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम बालौदा के महुदा नैला मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(4) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य -

(क) विदिशा जिले के ग्राम ठई से तिलक मदोरा तक डब्लू.बी.एम. सड़क का निर्माण किये जाने,
(ख) विदिशा जिले के ग्राम नोलास से लखुली तक सड़क का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
		मांग संख्या 63	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या 22	स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 69	नगरीय कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या 30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग
		मांग संख्या 62	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या 55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 74	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
1 घन्टा	(5)	मांग संख्या 26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 37	पर्यटन

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 1 मार्च, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 1822) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 8 मार्च, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्रमांक 2618) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री के.पी. सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 27 अप्रैल, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा